दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 05.01.2024

निर्णय उद्घोषित : 11.01.2024

रि.या.(सि.) 15594/2023 और सि.वि.आ. 62394/2023

भूतपूर्व सैनिक नरेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

दवारा :

श्री जनक राज राणा के साथ श्री विनोद

पाटीदार, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा :

श्री मनोज कुमार त्यागी, भारत संघ के

वरिष्ठ पै.अ. सह सेना/भारत संघ के

मेजर पार्थी कात्यायन

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

<u>निर्णय</u>

न्या. सौरभ बनर्जी

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मू.आ./1449/2022 में विद्वान वायु सेना न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ [एएफटी] द्वारा पारित किया गया दिनांक

05.07.2023 के आदेश और पु.आ./30/2023 में उसके बाद के दिनांक 26.08.2023 के आदेश, जिसके माध्यम से विद्वान एएफटी ने याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया है और उक्त आदेश के विरुद्ध समीक्षा को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को सेवोन्मुक्ति की तिथि अर्थात, 22.01.1992 से बकाया के साथ विकलांगता पेंशन प्रदान करने से इंकार कर दिया, को अभिखंडित और अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण के स्वरूप वाली और/ या कोई और उपयुक्त आदेश/निर्देश जारी करने कि मांग करता है।

- 2. संक्षेप में कहें तो भर्ती चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने पर, याचिकाकर्ता को 10.06.1991 को कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही के रूप में नामांकित किया गया था। हालांकि, प्रशिक्षण प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर ही अस्पताल में 03.01.1992 को भर्ती होने के बाद को उन्हें 'महाधमनी रिगर्जिटेशन' से पीड़ित पाया गया और उन्हें 60% विकलांगता के साथ निम्न चिकित्सा श्रेणी 'ईईई' में रखा गया। रिलीज चिकित्सा बोर्ड के परिक्षण के बाद, याचिकाकर्ता को निम्न चिकित्सा श्रेणी 'महाधमनी पुनरुत्थान' के अधीन 2 साल के लिए 60% विकलांगता, जिसके लिए सैन्य सेवा जिम्मेदार नहीं थी, के साथ सेवोन्मुक्त करने की सिफारिश की गई। इसके परिणामस्वरूप 22.01.1992 को उन्हें सेवोन्मुक्त कर दिया गया।
- 3. इसके बाद, मई 2006 में पहली बार, लगभग 15 वर्ष कि देरी के बाद याचिकाकर्ता ने उपरोक्त के लिए अपने चिकित्सा दस्तावेज मांगे। इनके प्राप्त

होने पर, याचिकाकर्ता ने विकलांगता पेंशन की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की, जिसे 20.11.2006 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अमान्य घोषित करने वाले मेडिकल बोर्ड (एएफएमएसएफ -16) की टिप्पणियों के अनुसार, विकलांगता जिसके कारण याचिकाकर्ता की भर्ती अमान्य हुई थी, उसके सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद थी और इसलिए, याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं था।

- 4. इससे व्यथित होकर, लगभग 15 वर्षों की देरी के बाद, जुलाई 2022 में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.11.2006 के आदेश को रद्द करने और सेवोन्मुक्ति की तिथि से ब्याज सिहत विकलांगता पेंशन पाने के लिए विद्वान एएफटी के समक्ष, मू.आ./1449/2022 [मू.आ.] दायर किया। उक्त मू.आ. के साथ एक आवेदन पु.आ. संख्या 1877/2022 के साथ इस आधार पर देरी की माफी मांगी गई थी कि वह एएफटी के अस्तित्व से अनिभेज था और इसके बारे में पता चलने पर उसने तुरंत एएफटी से संपर्क किया था और चूंकि पेंशन न देना एक निरंतर त्रूटी थी, इसलिए देरी को माफ किया जाए।
- 5. विद्वान एएफटी के समक्ष, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि दिनांक 20.11.2006 का आदेश धर्मवीर सिंह बनाम भारत संघ (2013) 7 एससीसी 316 के विरोधास्पद है क्योंकि उसमें यह माना गया था कि यदि किसी व्यक्ति के सेवा में प्रवेश/स्वीकृति के समय विकलांगता पर कोई टिपण्णी नहीं की गई थी और उसके बाद यदि किसी बीमारी का पता लगता है जिसके परिणामस्वरुप उसकी सेवा से निवृत्ति और नियुक्ति अमान्य हो जाती है, ऐसी रि.गा.(सि.) 15594/2023

बीमारी/स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण सेवा कार्यकाल को माना जाना चाहिए। इसके आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता सेवा में शामिल होने के समय शेप-। श्रेणी में था और इसके अतिरिक्त चूंकि बीमारी का पता केवल तब चला जब वह मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण कठोर प्रशिक्षण से गुजर रहा था, उसकी इस स्थिति के लिए सैन्य सेवा जिम्मेदार थी और इसलिए याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार था।

6. अपेक्षित रूप से, प्रत्यर्थियों ने अपने शपथ-पत्र के हलफनामे में याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन देने का इस आधार पर विरोध किया कि सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 (भाग-1) के नियम 173 के अनुसार, याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन पाने के लिए प्राथमिक शर्तों को पूरा नहीं करता क्योंकि मूल्यांकन के अनुसार न तो उसकी विकलांगता का कारण सैन्य सेवा थी और न उसमें वृद्धि का कारण और न ही उसका सेवा से कुछ संबंध पाया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों को रक्षा सेवा विनियमन, सेना के लिए विनियम, 1987 (संशोधित संस्करण) (खंड ॥) के पैरा 595 के अनुसार उसकी प्रतिधारण अवधि के 25 वर्ष पूरे होने पर गैर-पेंशनभोगी होने के नाते पहले ही नष्ट कर दिया गया था वह अब उपलब्ध नहीं थे और इसलिए इनके अभाव में याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन नहीं दी जा सकती।

अतिविलम्ब के आधार पर दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने एएफटी से संपर्क सेवोन्मुक्ति के 30 वर्ष बाद देरी से किया था।

- विद्वान एएफटी ने दिनांक 05.07.2023 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से भले ही वि.आ. संख्या 1877/2022 को अनुमति दे दी गई और भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम सिंह (2008) 8 एससीसी 648 को आधार बनाते ह्ए देरी को माफ कर दिया। तथापि, मुख्य रूप से दो मुद्दों पर याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन देने के लिए मू.आ. को खारिज कर दिया गया, सबसे पहले, देरी और विलम्ब के कानूनी मुद्दे पर यह मानते हुए कि 20.11.2006 के अस्वीकृति आदेश के बाद विद्वान एएफटी से संपर्क करने में न केवल 15 साल से अधिक की देरी हुई थी, बल्कि कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की तिथि से क्ल 30 वर्ष से अधिक की अस्पष्ट और अत्यधिक देरी हुई थी, और दूसरी बात, इसमें शामिल तथ्यों पर विचार करते हुए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता को उसके प्रशिक्षण शुरू करने के 6 महीने के भीतर 'महाधमनी प्नरुत्थान' का निदान किया गया और चूंकि उक्त 'महाधमनी पुनरुत्थान' मूल रूप से जन्मजात/अंतर्भूत था, इसलिए इसके लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, जैसा कि अमान्य घोषित करने वाले मेडिकल बोर्ड ने भी माना था।
- 8. इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.07.2023 के आदेश के विरुद्ध पु.आ./30/2023 के तहत एक समीक्षा याचिका दायर की, हालांकि, बाद के

आक्षेपित आदेश दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से इसे खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि समीक्षा के लिए उठाए गए आधारों के संदर्भ में, 05.07.2023 के विद्वान एएफटी के आदेश में कोई विकृति या अवैधता नहीं पाई गई। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अब वर्तमान याचिका दायर की है।

- 9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि विद्वान एएफटी इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से धर्मवीर सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय के दायरे में आता है क्योंकि याचिकाकर्ता के मामले में उसे पदग्रहण के दौरान स्वस्थ घोषित किया गया था और इसलिए उसके बाद पाई गई किसी भी चिकित्सा स्थिति का कारण सेवा को माना गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को महाधमनी रिगर्जिटेशन का पता तब चला जब वह प्रशिक्षण ले रहा था, जिसके कारण उसे मानसिक और शारीरिक तनाव हुआ और परिणामस्वरूप उसकी चिकित्सीय स्थिति बिगइ गई और इसका कारण सेवा को माना जा सकता था।
- 10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि विद्वान एएफटी ने मू.आ. दाखिल करने में हुई देरी को स्वयं माफ करने के बाद देरी और विलम्ब के आधार पर मू.आ. को खारिज करने में गलती की। अंततः

उन्होंने निवेदन किया कि पेंशन एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे दस्तावेजों न होने के कारण नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी कमी याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है।

- 11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विद्वान एएफटी ने ठीक ही कहा है कि याचिका देरी और विलम्ब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य थी क्योंकि विद्वान एएफटी से संपर्क करने में 30 वर्ष से अधिक की देरी हुई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति, जो उसकी भर्ती के अमान्यता और बाद में उसके सेवोन्मुक्ति का कारण बनी, मूल रूप से जन्मजात थी और उसका पता याचिकाकर्ता के सेवा में शामिल होने के समय नहीं लगाया जा सका, इसलिए इसके होने या और बिगड़ने का कारण सैन्य सेवा को नहीं माना जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन अनुदान का हकदार नहीं था।
- 12. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों को पढ़ा है और उनके द्वारा उद्धृत और आधार बनाए गए निर्णयों का ध्यान से अवलोकन किया है।
- 13. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा एएफटी के समक्ष दायर किए गए विलंब के लिए माफी मांगने वाला आवेदन केवल 20.11.2006 को जब उसकी अपील विद्वान एएफटी

के समक्ष मू.आ. दायर करने तक खारिज कर दी गई थी, से प्रभावी समय अविध से संबंधित था और उसके पहले 22.01.1992 से प्रभावी अविध के दौरान पूर्ण रूप से शांति थी, यानी उनके सेवोन्मुक्ति की तिथि से दिनांक 20.11.2006 के आदेश तक। इस प्रकार, यह माना गया कि दो चरणों में 15 वर्ष की देरी हुई, सबसे पहले 22.01.1992 से 20.11.2006 तक और फिर 22.11.2006 से 04.07.2022 तक यानी विद्वान एएफटी के समक्ष मू.आ. दाखिल करने तक, पहले चरण के लिए कोई माफी नहीं मांगी गई थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए 15 साल के दूसरे चरण की देरी की माफ़ी में भी कोई गुणावगुण नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो याचिकाकर्ता को प्रत्याशा में रखे या जो उसे समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोके।

14. याचिकाकर्ता, जो एक अनुशासित बल के लिए प्रशिक्षण में इस आशा के साथ शामिल हुआ था कि वह पदग्रहण के बाद कार्यरत होगा, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह चीजों को इतने हल्के में और लापरवाही से लेगा और विद्वान एएफटी या इस न्यायालय को अपने बचाव में आने के लिए कहेगा। यदि याचिकाकर्ता को ऐसा करने की अनुमित दी जाती है, तो यह भविष्य में अन्य पदाधिकारियों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा और आने वाले समय के लिए भी एक बुरी मिसाल होगा। यह न्यायालय ऐसा करने में अनिच्छ्क है। किसी भी स्थिति में, विद्वान एएफटी ने देरी की माफी के

आवेदन को अनुमति देने के प्रति सचेत रहते हुए, इस तरह की देरी को माफ करते ह्ए, उन दो चरणों को निर्दिष्ट किया है और अपने निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं। यह न्यायालय इससे सहमत है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है, जब याचिकाकर्ता ने 15 वर्षों के अस्पष्ट अंतराल के बाद, विद्वान एएफटी के समक्ष मू.आ. दाखिल करने में देरी की माफी के लिए न तो कोई दलील दी है और न ही कोई मामला बनाया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने वही दलीलें उठाई हैं जिन्हें विद्वान एएफटी द्वारा पहले ही नकार दिया गया है और जिन्हें उसकी समीक्षा में बाद के आदेश द्वारा खारिज भी कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से एक बार फिर दिनांक 05.07.2023 के उसी आदेश की समीक्षा करने का प्रयास कर रहा है, जो कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। सावधानीपूर्वक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने केवल लगभग 6 महीने की संक्षिप्त अविध के लिए प्रशिक्षण लिया था, जिसके भीतर उसकी चिकित्सीय स्थिति का पता चला और रिलीज मेडिकल बोर्ड के आदेश के बाद उसे सेवोन्मुक्त कर दिया गया। चूंकि याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति "महाधमनी पुनरुत्थान" पहले से ही मौजूद थी क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से जन्मजात थी, इसलिए सैन्य सेवा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन देने पर विचार करने के लिए 6 महीने की उपरोक्त अवधि

याचिकाकर्ता के अन्दर इस प्रकार का मानसिक और शारीरिक तनाव और/या तनाव उत्पन्न करने के लिए बहुत कम थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी चिकित्सकीय स्थिति ऐसी हो जाए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता स्वीकार्य रूप से प्रासंगिक समय पर किसी भी प्रकार के क्षेत्र या प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन/निष्पादन नहीं कर रहा था। 'प्रशिक्षण' शब्द का अर्थ अपने आप में यह है कि याचिकाकर्ता को पूरे समय शारीरिक सहनशक्ति से गुजरना होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता की ऐसी चिकित्सकीय स्थिति होने या उसके बढ़ने के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इस प्रकार वह विकलांगता पेंशन पाने का हकदार नहीं हो सकता है।

16. वास्तव में, एक चिकित्सा रिपोर्ट के रूप में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता में पाई गई 'महाधमनी पुनरुत्थान', मूल रूप से जन्मजात/संवैधानिक थी, निर्विवाद है। अन्य चिकित्सकीय दस्तावेजों की अनुपस्थिति, जो तब से नष्ट कर दी गई है, महत्वहीन है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह कानून स्पष्ट है कि इस न्यायालय को चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, खासकर जब वे क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उचित परीक्षण के बाद प्रस्तुत किए गए हों।

- 17. यह न्यायालय **भारत संघ बनाम बलजीत सिंह**, (1996) 11 एससीसी 315, मामले में एक ठोस आधार पाया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है -
 - "6. देखा गया है कि नियमों के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनसे यह समझा जा सके कि बीमारी अथवा क्षति के लिए सैन्य सेवा को कब-कब जिम्मेदार माना जाए। नियम 173 के तहत विकलांगता पेंशन की गणना केवल तभी की जाएगी जब विकलांगता किसी ऐसे घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हो जो सैन्य सेवा के कारण हुई हो या सैन्य सेवा से पहले या सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई हो और सैन्य सेवा के दौरान बढ़ी रही हो। यदि यह शर्तें पूरी हो जाती है तो अवलंबी अनिवार्य रूप से विकलांगता पेंशन का हकदार है। पैरा 7 का खंड (क) से (घ) तक पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि किसी बीमारी के संबंध में उसके तहत उल्लिखित नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। खंड (ग) कहता है कि यदि किसी बीमारी का सेवा के दौरान उत्पन्न होना स्वीकार किया जाता है, तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की स्थिति ने बीमारी का शुरू होना तय कर दिया था या उसे बढ़ाने में योगदान दिया था। जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षति का होना अपने आप में सैन्य सेवा के कारण है। डाक्टरों के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के मददेनजर, यह सैन्य सेवा के कारण नहीं है। हो सकता है कि इस निष्कर्ष पर संतोषजनक ढंग से पहुंचा न गया हो कि हालांकि चोट सेवा में रहते हुए लगी थी, परंतु यह सेन्य सेवा के कारण नहीं थी। प्रत्येक मामले में, जब विकलांगता पेंशन की मांग की जाती है और दावा किया जाता है, तो इसे एक तथ्य के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि क्या चोट सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई थी या बढ़ गई थी जो सैन्य सेवा में भर्ती की अमान्यता का कारण बन गई.....
- 18. इस न्यायालय को **रक्षा मंत्रालय बनाम ए.वी. दामोदरन**, (2009) 9 एससीसी 140 मामले में भी समर्थन मिलता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"35. रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) बनाम एस. बालचंद्रन नायर [(2005) 13 एससीसी 128: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 734] और भारत संघ बनाम बलजीत सिंह [(1996) 11 एससीसी 315: 1997 एससीसी (एल एंड एस) 476] के निर्णय में माना गया कि चिकित्सकीय बोर्ड की राय के अनुसार प्रत्यर्थी को हुई बीमारी और विकलांगता के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और किसी विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसे न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह भी माना गया कि जहां मेडिकल बोर्ड ने पाया कि लगी चोट/बीमारी का कारण सैन्य सेवा को मानने में सबूत का अभाव था या जिसके कारण विकलांगता पेंशन का भुगतान करने के लिए सरकार को दिया गया उच्च न्यायालय का निर्देश सही नहीं था।

19. अंत में, हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से धर्मवीर सिंह (सुप्रा) के निर्णय में अंतर्निहित है, हालांकि, यह न्यायालय मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है: -

"29.1. विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जाएगी जो किसी ऐसी विकलांगता के कारण सेवा से अयोग्य हो गया है जो गैर युद्ध हताहतों में सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ गई है और जिसका मूल्यांकन 20% या उससे अधिक किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ी है, इसका निर्धारण परिशिष्ट ॥ (विनियम 173) के हताहत पेंशन पुरस्कार, 1982 के पात्रता नियमों के तहत किया जाना है।

XXX XXX XXX

29.4. यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के कारण स्वीकार किया जाता है तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी को शुरू किया था या उसमें योगदान दिया था और यह कि उक्त स्थितियां सैन्य सेवा में उसके कार्य की परिस्थितियों के कारण थीं [नियम 14 (ग)]

XXX XXX

29.6. यदि चिकित्सकीय राय यह मानती है कि सेवा के लिए स्वीकृति से पहले चिकित्सा परीक्षण में बीमारी का पता नहीं चल सका है और उस बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न नहीं माना जाएगा, तो चिकित्सा बोर्ड को कारण बताना आवश्यक है [नियम 14(ख)]

(ज़ोर दिया गया)

20. वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में नरसिंह यादव बनाम भारत संघ, (2019) 9 एससीसी 667 मामले में निम्नानुसार निर्धारित करने के बाद काफी हद तक विकलांगता पेंशन के अनुदान की स्थित को स्पष्ट किया: -

"15. हम पाते हैं कि यह सिद्धांत का यांत्रिक आवेदन नहीं है कि नामांकन के समय उल्लिखित किसी भी विकार के होने या बढ़ने के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जाए। सवाल यह है कि क्या व्यक्ति को ऐसी कठोर और प्रतिकूल परिस्थितियों में तैनात किया गया था जिसके कारण मानसिक असंतुलन हुआ है।

16. चिकित्सा अधिकारी मार्गदर्शिका (सैन्य पेंशन), 2002 के अध्याय IV अनुलग्नक । — "पात्रता: सामान्य सिद्धांत" के अनुसार कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जो नामांकन के दौरान शारीरिक जांच द्वारा तब तक पता नहीं लगाए जा सकते हैं जब तक कि व्यक्ति द्वारा उस समय उस बीमारी का यथोचित इतिहास नहीं दिया जाता है, जिनमें मानसिक विकारों सहित; मिर्गी और मानसिक विकारों के आवर्ती रूप भी शामिल हैं; जिनमें बीच बीच में सामान्य स्थिति के अंतराल होते हैं। पात्रता नियम के अनुसार मिर्गी और मानसिक विकार सहित कुछ रोग सामान्यत: पता नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए, हम इस बात से असहमत हैं कि मात्र यह तथ्य कि मानसिक

विकार स्चिज़ोफ्रेनिया पर नामांकन के दौरान ध्यान नहीं दिया गया था इस उपधारणा का कारण बने कि बीमारी सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ी थी। XXX XXX XXX

18. इसलिए, प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए कि क्या व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों के कारण तनाव और मनोविकृति के परिणामस्वरुप साइकोसिस एवं साईकोन्यूरोसिस हो सकता है। मानसिक विकारों के बार-बार होने वाले रूप जिनमें सामान्य स्थिति और मिर्गी के बीच अंतराल होता हैं, नामांकन के दौरान शारीरिक परीक्षण करते समय यदि सदस्य द्वारा उस समय पर्याप्त इतिहास नहीं दिया जाता है तो अज्ञात ही रहते हैं।

XXX XXX XXX

20. वर्तमान मामले में, नियम 14 (घ), जैसा कि वर्ष 1996 में संशोधित किया गया था और ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया था, लागू होगा क्योंकि विकलांगता पेंशन के लिए तब तक पात्रता नहीं बनेगी जब तक कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जाता है कि इस तरह की बीमारी का स्वरूप सैन्य सेवा की शर्तों से संबंधित कारकों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। हालांकि, विकलांगता पेंशन के अनुदान का प्रावधान एक लाभकारी प्रावधान है, लेकिन भर्ती के समय मानसिक विकार का आमतौर पर तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कोई व्यक्ति सामान्य रूप से व्यवहार करता है। चूंकि मानसिक विकार का पता न लगाने की संभावना है, इसलिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्चिज़ोफ्रेनिया सैन्य सेवा के कारण हुआ है या बढ़ा है।

21. यद्यपि, चिकित्सा बोर्ड की राय न्यायिक समीक्षा के अधीन है लेकिन न्यायालयों के पास ऐसे रिपोर्ट पर विवाद करने की विशेषज्ञता तब तक नहीं है जब तक कि मेडिकल बोर्ड की राय पर विवाद करने के लिए अभिलेख पर मजबूत चिकित्सा साक्ष्य न हो जो समीक्षा चिकित्सा बोर्ड गठन के लिए प्रेरित कर सके। अमान्य घोषित करने वाले चिकित्सा बोर्ड ने स्पष्ट रूप से माना है कि अपीलकर्ता आगे की सेवा के लिए स्वस्थ्य नहीं है और अमान्य घोषित करने वाले चिकित्सा बोर्ड करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है।

- 21. दिलचस्प बात यह है कि उपर्युक्त निर्णय पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने केशव दत्त ओली बनाम भारत संघ 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 5080, को आधार बनाया है, जिसमें न्यायपीठ ने विकलांगता पेंशन देने की याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल 5 महीने के लिए सेवारत था और उसकी मानसिक मंदता की विकलांगता का भर्ती के दौरान पता नहीं लगाया जा सका और सैन्य सेवा इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी और यह भी कि अमान्य घोषित करने वाले चिकित्सा बोर्ड की राय को चुनौती नहीं दी गई, विकलांगता पेंशन देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया।
- 22. किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय ने पाया कि स्थापित कानून के अनुसार विकलांगता पेंशन का अनुदान किसी सिमित सूत्र पर आधारित नहीं है और निश्चित रूप से यह अधिकार का मामला नहीं है क्योंकि यह इसमें शामिल तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है।
- 23. मामले की तथ्यात्मक तालिका को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जहां किथित बीमारी और उत्पन्न विकलांगता और याचिकाकर्ता द्वारा ली गई सैन्य सेवा/प्रशिक्षण और कानून की स्थापित स्थिति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है इस पर, इस न्यायालय को विद्वान एएफटी द्वारा पारित आदेशों में कोई कमी और विकृति नहीं मिली, क्योंकि याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए कोई भी मामला बनाने में विफल रहा है।

24. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ वर्तमान याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन कर सकेंगे।

> (सौरभ बनर्जी) न्यायाधीश

(वी. कामेश्वर राव) न्यायाधीश

11 जनवरी. 2024/आरआर

(Translation has been done through Al Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।